रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122024-259522
CG-DL-E-19122024-259522

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5063] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2024/अग्रहायण 27, 1946
No. 5063] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2024/AGRAHAYANA 27, 1946

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर , 2024

**का.आ. 5471(अ).—** केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, करनाला वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के आसपास एक पारिस्तिथिकी-संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 230(अ), तारीख 22 जनवरी, 2016 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकेगी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 230(अ), तारीख 22 जनवरी, 2016 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 230(अ), तारीख 22 जनवरी, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मॉनीटरी समिति.** – – केंद्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर एक समिति का गठन करेगी, अर्थात्: -

| | | |
|---|---|---|
| (i) | रायगढ़ जिले के कलेक्टर | - अध्यक्ष, पदेन; |
| (ii) | जिला परिषद, रायगढ़ के एक प्रतिनिधि | - सदस्य, पदेन; |
| (iii) | राजस्व विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि | - सदस्य, पदेन; |
| (iv) | पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। | - सदस्य; |
| (v) | पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। | - सदस्य; |
| (vi) | प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुंबई | - सदस्य, पदेन; |
| (vii) | क्षेत्र के ज्येष्ठ नगर नियोजक | - सदस्य, पदेन; |
| (viii) | विशेष योजना प्राधिकरण (एसपीए) के प्रतिनिधि-नवी मुंबई हवाई अड्डा प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (नैना) | - सदस्य, पदेन; |
| (ix) | उद्योग विभाग/महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के प्रतिनिधि | - सदस्य, पदेन; |
| (x) | उप वन संरक्षक – अलीबाग प्रभाग | - सदस्य, पदेन।" |

**6. मॉनीटरी समिति के कार्य.-** (1) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची मे सम्मिलित है, और जो पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी मे विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मॉनीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या यथास्थिति, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) उन क्रियाकलापों की उपपैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के मॉनीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जायेगी और उसे सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मॉनीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मॉनीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, औद्योगिक संगमों या पणधारियों के प्रतिनिधि को विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(5) मॉनीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-IV** में विनिर्दिष्ट निदर्शन पत्र में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मॉनीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह उचित समझे।"

[फा.सं. 25/48/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा,वैज्ञानिक ''जी''

**टिप्पण.-** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 230(अ), तारीख 22 जनवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th December, 2024

**S.O. 5471(E). —** WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub- section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-sensitive Zone around Karnala Wildlife Sanctuary, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 230(E), dated the 22nd January, 2016;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 230(E), dated the 22nd January, 2016;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section #(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. . 230(E), dated the 22nd January, 2016, namely:-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted namely: -

"5. **Monitoring Committee**. The Central Government hereby constitutes a Monitoring committee consisting of the following persons, namely:

| | | |
|---|---|---|
| (i) | The Collector of Raigad District | Chairman; *exofficio,* |
| (ii) | A representative of Zilla Parishad, Raigad | Member; *exofficio,* |
| (iii) | A representative of Department of Revenue, Government of Maharashtra | Member; *exofficio,* |
| (iv) | A representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years. | Member; |
| (v) | One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years. | Member; |

| | | |
|---|---|---|
| (vi) | The Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, Mumbai | Member; *exofficio*, |
| (vii) | The Senior Town Planner of the area | Member; *exofficio*, |
| (viii) | Representative of Special Planning Authority (SPA)- Navi Mumbai Airport Influence Notified Area (NAINA) | Member; *exofficio*, |
| (ix) | Representative of Industry Department/Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC Maharashtra State Pollution Control Board | Member; *exofficio*, |
| (x) | The Deputy Conservator of Forest - Alibag Division | MemberSecretary, *exofficio* ." |

**5A. Functions of the Monitoring Committee.** – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-IV, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

[F. No. 25/48/2014-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA ,Scientist "G"

Note. - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 230(E), dated the 22nd January, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2024.12.19 16:20:52 +05'30'